पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम राज्य में सन् 1962–63 से प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में लगभग 3 लाख लोग क्षय रोग से पीड़ित है ,जिसमें लगभग 25 प्रतिशत संक्रामक है।

राज्य के सभी 16 जिलों में जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र संचालित है। 16 जिलों में से पुराने 7 जिलों में जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र स्थापित है तथा शेष 9 जिलों में जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

भारत शासन ने वर्ष 1984–85 से नई प्रणाली लागू की है जिसे शार्ट कोर्स कीमोथेरेपी (एस.एस.सी.) कहा जाता है यह प्रणाली समस्त छत्तीसगढ़ में लागू है। साथ ही डॉट्स (डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शार्टकोर्स) पद्धति से पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टी.बी. का इलाज किया जा रहा है।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश में भारत शासन के सहयोग एवं मार्गदर्शन से चलाया जाता है। कार्यक्रम में भारत शासन द्वारा प्रतिवर्ष भौतिक लक्ष्यों का आबंटन किया जाता है , इसमें तीन प्रकार के भौतिक लक्ष्यों का आबंटन किया जाता है :–

1 संभावित नये क्षय रोगियों के खखार की जांच।

2 खंखार की जांच में पाये गये धनात्मक रोगी।

3 पाए गए धनात्मक रोगियों में से इलाज ले रहे रोंगी।

विश्व बैंक की सहायता से भारत में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सन् 1993 से पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के 4 जिलों रायपुर, बिलासपूर,राजनांदगांव एवं दुर्ग में 15 अगस्त 2002 से रोगियों का इलाज डॉट्स पद्धति से प्रारंभ किया गया है तथा सेंट्रल टी.बी. डिवीजन टीम के द्वारा की गई अप्रेजल से प्रदेश के 5 और जिलें धमतरी, कांकेर, जांजगीर, रायगढ़ व कवर्धा को इस कार्यक्रम में शमिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही पूर्णकर सेवा के लिए तैयार है। शेष 7

जिलों में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्राण कार्यक्रम लागु करने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्राण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित सभी जिलों की टी.यू. व एम.सी. की जानकारी निम्न है :–

क्रमांक	जिला	डी.टी.सी.	टी.यू.	एम.सी.	जनसंख्या (लाख में)
1	रायपुर	1	6	34	31.62
2	दुर्ग	1	6	27	29.94
3	राजनांदगांव	1	3	13	13.47
4	बिलासपूर	1	5	24	21.29
5	धमतरी	1	2	9	7.52
6	कांकेर	1	3	13	6.96
7	रायगढ़	1	3	17	13.51
8	कर्वधा	1	2	8	6.25
9	जांजगीर	1	3	12	14.06
10	महासमुंद	1	2	9	9.19
11	कोरबा	1	4	17	10.81
12	जशपुर	1	3	16	7.90
13	जगदलपुर	1	5	27	13.92
14	कोरिया	1	3	12	6.25
15	दंतेवाड़ा	1	3	12	7.68
16	सरगुजा	1	8	39	21.05

सामग्री की आपूर्ति

प्रदेश में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्राण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित 4 जिलें तथा लागू किए जाने वाले 5 जिलों में सभी सामग्रियों की आपूर्ति की जा रही है।

संविदा नियुक्ति

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नियमित चिकित्सको /कर्मचारियों के अतिरिक्त उपरोक्त केन्द्रों की आवश्सयकता अनुसार चिकित्सको /कर्मचारियों कीर नियुक्ति की गई है, जो शासन के स्वीकृत मापदंड के अनुरूप है। वर्तमान में आरएनटीसीपी के अंतर्गत स्वास्थ्य समित (क्षय) में 1 आईईसी ऑफिसर, 1 लेखापाल, 1 फार्मेसिस्ट, 1 सेक्रेटरियल असिस्टेंट, 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा 1 ड्राइवर है तथा प्रदेश में जिलों में 58 एसटीएस, 59 एसटीएलएस,,82 एलटी, 17 टीबीएचव्ही, 16 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं 16 पार्ट टाइम एकाउण्टेंट तथा 11 ड्रायवर संविदा पर कार्यरत है।

प्रशिक्षण

क्षय रोग के सफल निदान एवं उपचार की गुणवत्ता एवम् निरंतरता बनाये रखने के लिये पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्राण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आरएनटीसीपी जिलों क्रमशः रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, तथा बिलासपूर के चिकित्सकों एवम् कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चूका है। शेष 12 जिलों जिनमें आरएनटीसीपी लागु होना है , अधिकांश चिकित्सकों एवम् कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं शेष का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है। बैगलोर, चेन्नई, आदि राष्ट्रीय स्तर के प्रक्षिण केन्द्रों के अतिरिश्त प्रदेशभर में भी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन कर कार्यक्रम में गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जाता है।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम देश में विश्व बैंक की सहायता से 1957 में आरंभ हुआ। डी.एफ.आई.डी., डेनिडा, यू.एस.एड. व जी.एफ.ए.टी.एम. की सहायता से इसका विस्तार तेजी से पूरे देश में किया गया। प्रदेश में 15 अगस्त 2002 को चार जिलों में आरएनटीसीपी लागू किया गया, जो प्रदेश की 91 लाख जनसंख्या तक पहुँच रहा है। शेष सभी बारह जिलों में शीघ्र ही आरएनटीसीपी लागू कर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या को इसके अंतर्गत लाया जायेगा।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य–खखार जाँच में पाये गये धनात्मक रोगियों में उच्च निरोगता दर का लक्ष्य कम से कम 85 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत नये धनात्मक क्षय रोगी खोजना है। आरएनटीसीपी के अंतर्गत मरीजों के निरीक्षण, दवाई व उपकरण आदि सुविधाओं की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या (आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रों में 2.5 लाख जनसंख्या) पर एक क्षय नियंत्राण इकाई स्थापित की गई है। इसी तरह प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या (आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रों में 50 लाख जनसंख्या) पर एक माइक्रोस्कोपी सेन्टर व प्रत्येक जिलों में एक–एक जिला क्षय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

विवरण	1 अप्रेल 2003 से 31 मार्च 2004 तक	1 अप्रेल 2004 से 31 मार्च 2005 तक	1 अप्रेल 2005 से 31 दिसम्बर 2005 तक
खखार की जांच की संख्या	23791	86131	67113
धनात्मक रोगियो की संख्या	2223	11482	8675
स्पूटम निगंटिव	5907	8979	6865
एक्स्ट्रा पल्मोनरी की संख्या	863	1759	1665
माह के अंत में उपचारत कुल क्षय रोगी	8333	22154	17737